











गुरुवार 03 अप्रैल 2025, नर्मदापुरम (होशंगाबाद)

## रांची के पास गांव में जुलूस के दौरान दो पक्षों में संघर्ष, आठ घायल

रांची, (आरएनएस)। रांची के पिटौरिया थाना क्षेत्र के हेडबालू गांव में मंगलवार की रात आदिवासियों के त्योहार सरहल पर निकाले गए जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। इस संघर्ष में दोनों पक्ष से करीब सात-आठ लोग घायल हो गए हैं।

घायलों में एक आदिवासी पाहन (पुजारी) भी हैं। हालांकि, इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम ने स्थिति को तत्काल कानून में कर लिया। इसके बाद गांव में बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बताया गया है कि हेडबालू गांव में एक समुदाय के लोगों ने अपने त्योहार को लेकर सड़क के दोनों ओर पर बिजली की लड़ियां लागी थीं।

मंगलवार को सरहल पर इसी रासे से जब जुलूस निकला, तो उनके छाँड़ों से सड़क किनारे लगी बिजली की कई लड़ियां टूट गईं। इसी बात पर दो पक्षों में विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों ओर से लाली-डंडे और ईंट-पत्थर चलने लगे। सरहल जुलूस का नेतृत्व करने वाले पाहन सहित कई अन्य को गंभीर चोटें आईं।

घटना की जानकारी के बाद मौके पर डीपीएस और कुमार पांडे, थाना प्रधारी अभय कुमार, कांसी और जय कुमार राम, प्रमुख समाज मुंडा, उप्रमुख अंजय बैंडी सहित कई अन्य लोग पहुंचे। उन्होंने अध्यस्थान करते हुए दोनों पक्ष के लोगों को शांत कराया। घायल हुए सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस घटना को लेकर बीजेपी के राज्यसभा संसद दीपक प्रकाश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है।

## हाईकोर्ट का अहम फैसला : दबाव व धोखे से धर्म परिवर्तन गंभीर अपराध, समझौते से केस रद्द नहीं

प्रयागराज (आरएनएस)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण नियंत्रण में संधि किया है कि मतांतरण के बावजूद हृषीकेश परिवर्तन और ईमानदारी से विश्वास के आधार पर ही वैध माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि धोखे या दबाव में कराया गया मतांतरण न सिर्फ अवैध है, बल्कि यह एक गंभीर अपराधिक कृत्य भी है। ऐसे मामलों में पक्षों के बीच समझौता होने पर भी केस को खत्म नहीं किया जा सकता।

यह फैसला व्यायमूर्ति मंजूरी रानी चौहान की एक लौटी ने रामपुर निवासी तौफीक अहमद की याचिका खारिज करते हुए सुनाया। याची पर हिंदू लड़कों को धोखे से प्रेमजलि में फँसाकर मतांतरण और दुर्क्रम का आरोप है। पीड़िता ने बताया कि अपरोपी ने दिंदू नाम रखकर सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर छह माह तक बंधक बनाए रखा।

## अलवर साइबर सेल पर लॉ स्टूडेंट से मारपीट और छेड़ियाड़ का आरोप, पुलिस ने किया इनकार

अलवर (आरएनएस)। राजस्थान के अलवर जिले में साइबर सेल के पुलिसकर्मियों पर एक लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट, छेड़ियाड़ और मोबाइल छीनने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता का दावा है कि उसने अपनी शिकायत को लेकर कई बार पुलिस के पास गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई पीड़िता के मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाया था। इन अकाउंट्स को हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर वह साइबर सेल पहुंची थी। लेकिन उसका आरोप है कि वहां मोजूद पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, अधिद भाषा का इस्तेमाल किया और छेड़ियाड़ की। इन्होंने नहीं, पुलिसकर्मियों ने उसका मोबाइल छीन लिया और उसे धमकाने की कोशिश की पीड़िता के मुताबिक, जब स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वह अतिरिक्त जिला कलेक्टर और टेक्निकल अधीक्षक के पास पहुंची। लेकिन वहां भी उसे एक घंटे तक इंतजार कराया गया और कोई लोग कदम नहीं उठाया गया।



हरियाणा की स्थायी मंत्री आरीन रिंग रव और केंद्रीय सांविधानिक एवं कर्यालय एवं योगाना राज्य मंत्री नेट्रो मोदी से मुलाकात की।

## हरियाणा में बिजली 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी, नए टैरिफ ढाँचे में 300 यूनिट तक मासिक शुल्क रखत

चंडीगढ़, (आरएनएस)। विधानसभा और निकाय चुनाव के बाद हरियाणा के 81 लाख घरेलू बिजलीय उपभोक्ताओं को झटका लगा गया है। प्रदेश में घरेलू बिजली यूनिट-1 उपभोक्ताओं के (0-50 व 51-100) और यूनिट-2 (0-150) में बिजली दर में 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़िया की गई है। अब नई टैरिफ व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें 300 यूनिट तक मासिक ऊँचा खत्त वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई नियन्त्रित शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो 115 से 125 रुपये तक अलग-अलग श्रेणियों में लगता था। इसके अलावा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए 4



## म्यांमार भूकंप : मृतकों की संख्या 2,700 के पार; सैन्य शासन ने युद्ध विराम प्रस्ताव को किया खारिज

नेपाली (आरएनएस)। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,719 हो गई, लगभग 4,521 लोग घायल हुए और 441 अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री मिन अंग हाइंग ने यह जानकारी दी।

इस बीच, म्यांमार के जुटा के प्रमुख आंग हाइंग ने जारी संशक्त सामर्णों (ईओ) के युद्ध विराम प्रस्तावों को खारिज कर दिया और सैन्य शासन जारी रखने की घोषणा की।

हाइंग ने मंगलवार को कहा, कुछ जातीय संस्कृति समूह अभी सक्रिय रूप से लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन वे हमलों के तौर पर के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि यह आक्रमकता का एक रूप है, इसलिए सेना जरूरी रक्षा अधिकारी जारी रखेगी।

म्यांमार नाट ने एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे वक्त में जब वैश्विक ध्वनि भूकंप के विनाश और मानवीय सहायता भेजने पर कोर्डिनेट हैं, म्यांमार की सेना ने देश भर में प्रतिरोधी समूहों के



किए और संभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच सीमित कर दी, जिससे मानवीय प्रतिक्रिया और अधिक जटिल हो गई।

ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट उपनिदेशक ब्रायोनी लात ने कहा, म्यांमार की सैन्य सरकार अभी भी ध्वनि वैदिका करती है, यहां तक कि एक भी प्राकृतिक आपदा के बाद भी जिसमें जहाजों लोग मारे हैं और घायल हुए। सरकार को अपने लिए मानवीय सहायता तक करना चाहिए, किए और यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जिन लोगों की जान जोखिम में है, उन तक मानवीय सहायता शीघ्र पहुंचे। लात ने कहा, म्यांमार की सेना पर इस ऐप्लिकेशन के लिए मानवीय सहायता तक करना चाहिए, किया जा अनुमति देनी चाहिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया में बाधा डालने वाले प्रतिवर्धनों को हटाना चाहिए।

वकालत समूह के अनुसार, 28 मार्च को क्षेत्र में आए भूकंप के बाद से, सेना ने हवाई हमले

यमन के होदेइदाह शहर पर हुए अमेरिकी

हवाई हमलों में तीन की मौत

सना (आरएनएस)। हूठी मीडिया और निवासियों ने बताया कि यमन के पश्चिमी प्रांत होदेइदाह शहर पर अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम तीन लोग मारे गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि मंगलवार रात को हुए हमलों में मध्य होदेइदाह के मंसूरिया जिले में एक जल परियोजना और उसकी इमारत को निशाना बनाया गया।

जिले के निवासियों ने सिन्हुआ को बताया कि मलबे में दबे जीवित लोगों की तलाश जारी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने हूठी मीडिया के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना ने उत्तर-पश्चिमी प्रांतों हजार और सादा में कई स्थानों पर हवाई हमले किए।

इससे पहले दिन में, हूठी मीडिया ने उत्तरी यमन में कई स्थानों पर अमेरिकी हवाई हमलों की तुरारी यमन में की जीवित लोगों की तुलाश जारी है। जिसमें राजधानी सेना के पश्चिम में बानी मारत जिले में मान्डूंत नवी शुश्यव और सादा शामिल हैं। किसी के हताहत होने की सुचना नहीं है इरान समर्थित हूठी, जो उत्तरी यमन के अधिकांश भाग पर नियंत्रण रखते हैं, 2014 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से लड़ रहे हैं। अमेरिकी सेना ने 15 मार्च से उत्तरी यमन में हूठी के जीवे वाले क्षेत्रों पर हवाई हमले किए जिसमें शुरू कर दिए हैं, कि इस समूह को अमेरिकी नैसेना और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि लोगों पर हमला करने से रोका जा सके। पिछले साल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी हवाई हमले लंबे समय तक जारी रहेंगे।

## इमरान के पुनः नोबेल शति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने पर घिरेगी सरकार?



इस्लामाबाद, (ए.)। दुनियां में शानदार क्रिकेटर के तौर पर मशहूर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दूसरी बार नोबेल शति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्हें पाकिस्तान में मानवाधिकारों और लोकतंत्र के बाबाकार देने के लिए नामांकित किया गया है। नार्वे की राजनीतिक पार्टी 'पार्टीटोये सेंट्रॉ' से जुड़े पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस (पीडब्ल्यूए) ने यह घोषणा की है। इससे पर राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान की शाहबाज सरकार पर धक्का है, क्योंकि उस पर जबरन इमरान को जेल में बंद रखने के अरोपी भी समय-समय पर लगते रहे हैं।

यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया था।

यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया था।

यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया था।

यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया था।

यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया था।

यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया था।

यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया था।

यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया था।

यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया था।

यहां बताते चलें कि इससे पहले, 2019 में भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस वक्त उन्हें भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए यह नामांकन मिला था। दरअसल बालाकोट हवाई हमले के बाद इमरान खान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल की थी, जिसके समर्थन में पाकिस्तान की संसद में

